न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **05/2017** आवंटन निरस्ती

1. श्री रूपलाल पिता वरदा जी मेघवाल, निवासी विजना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री लालू पिता भेरा जी मेघवाल मृतक के बजाय

(1/1) श्री पूरणमल पिता लालू जी मेघवाल निवासी विजना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

(1/2) श्री हेमन्त पिता लालू जी मेघवाल निवासी विजना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

(1/3) श्रीमती मोहनबाई बेवा लालू जी मेघवाल निवासी विजना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

(1/4) श्रीमती भागूबाई पिता लालू जी मेघवाल निवासी विजना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

(1/5) श्रीमती रेखा पिता लालू जी मेघवाल निवासी विजना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत विपक्षी का आवन्टन निरस्त कराने हेतु

उपस्थितः
1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कुलदीप चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/2 से 1/5
3. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1

निर्णय

दिनांकः—12.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर

निवेदन किया है कि मौजा वीजना तहसील वल्लभनगर के आराजी नं. 291 मी रकबा 5 बीधा 4 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 06.06.84 को विपक्षी को किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा उक्त आवंटन नियमों के विपरीत धोखाधडी से एवं मिसरिप्रजनटेशन से अपने नाम पर करवा लिया। विपक्षी का आवंटन प्रार्थनापत्र अपूर्ण था। कोरम भी अपूर्ण था। विपक्षी सं. 1 उस समय सरकारी नौकर था। सरकारी नौकर भूमिहीन की परिभाषा में नही आता है। ना ही उसे आवंटन किया जा सकता है। वक्त आवंटन वह बेलदार के पद पर होकर सिंचाई विभाग में कार्यरत था। आवंटन से पूर्व ही विपक्षी के पास 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि थी। लालू साक्षर होकर दस्तखत करता था। जबकि उसके प्रार्थनापत्र पर अंगुठा लगा हुआ है। उसके द्वारा कभी भी आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया गया। सारे तथ्यों को छिपाकर भूमि का आवंटन विपक्षी के नाम किया गया। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई। वर्तमान में उस जमीन पर पशु चर रहे है। कथित आवंटन का ज्ञान प्रार्थी को 2017 में हुआ। जिस पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्ती हेतु निवेदन किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के नाम किया गया आवंटन निरस्त करा भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज कराना फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि मौजा विजना तहसील वल्लभनगर में दो बीघा भूमि दिनांक 06.06.84 को विपक्षी सं. 1 के पिता लालू को आवंटन की गई थी। किया गया आवंटन नियमो के अनुसार होकर प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र पर नियमानुसार जांच होकर आवंटन कमेटी का पूरा कोरम होकर आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया। आवंटन के समय विपक्षी सरकारी नौकरी में नहीं था। लालू द्वारा अंगूष्ठ निशानी ही की जाती थी। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण रूप से पालना की गई। आवंटन के समय से ही आवंटीत भूमि पर विपक्षी सं. 1 के पिता का उनके जीवनकाल में उनका कब्जा रहा। उनकी मृत्यु पश्चात विपक्षी सं. 1 से 3 का कब्जा है। आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से सन 1996 में ही आवंटन भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। आवंटित भूमि पर विपक्षी सं. 1 से 3 ने अपना मकान कृषि कार्य हेतु एवं कृषि उपकरण आदि रखने हेतु बना रखा है। जिस पर अपने परिवार सहित निवास भी करते है। आवंटन के 35 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना कतई कानूनन नहीं है। विपक्षी को आवंटित भूमि के सामने स्थित राज्य की बिलानाम भूमि जिस पर

प्रार्थी द्वारा अपने धनबल एवं भुजबल के आधार पर कब्जा कर लियाा है। एवं विपक्षीगण की भूमि पर भी जबरन कब्जा करने को आमादा है। लालू आवंटन के समय मजदूरी करता था। किन्तु आवंटन के बाद उसे नौकरी मिली है। इस कारण प्रार्थी का यह कहना कि आवंटन के समय विपक्षी लालू राजकीय सेवा में था जो पूर्णतया मिथ्या एवं मनगंढत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 लालू पिता भेरा मेघवाल द्वारा दिनांक 06.06.84 को मौजा विजना तहसील वल्लभनगर की आराजी नं. 291मी में 2 बीघा भूमि को तथ्यों को छिपाते हुए धोखाधडी से एवं मिसरिप्रजेनटेशन से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम पर आवंटन करवा ली गई। विपक्षी साक्षर होकर राजकीय सेवा में सिचाई विभाग में बेलदार के पद पर तैनात था। राजकीय सेवा में रहते हुए यह आवंटन अपने नाम पर करवाया जबकि नियमानुसार राजकीय कर्मचाररी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। आवंटन प्रार्थनापत्र भी उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उस पर उसकी अगूंठा निशानी लगाकर धोखे से अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया। वक्त आवंटन आवंटन कोरम भी अपूर्ण था। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। मिसरिप्रजेनटेशन से किया गया आवंटन किसी भी स्थिति में बहाल नहीं रखा जा सकता है। आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। ना ही उसके द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पशु चर रहे है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे। अपने कथनों की ताईद में R.R.D. 1999 P. 486, R.R.D. 1994 P. 376, R.R.D. 1978 P. 70, R.B.J. 2000 P. 547, R.B.J. 2007 P. 492, R.R.D. 1995 P. 564, R.R.D. 1995 P. 340, R.B.J. 2014 P. 120, R.R.T. 2005 P. 83, R.R.T.2001 P. 1410, R.R.D. 2001 P. 2001, R.R.D. 1992 P. 497, R.R.D. 2005 P. 21 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 1 से 5 के पिता लालू मेघवाल को दिनांक 06.06.84 को विधिवत उसके आवेदन पत्र पर आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा मौजा विजना तहसील वल्लभनगर की आराजी नं. 291मी में 2 बिधा भूमि का आवंटन किया गया। तब से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त विपक्षी के पिता लालू मेधवाल का ही रहा। विपक्षी लालू मेघवाल को जिस दिनांक को भूमि आवंटन हुई थी उस दिन वह किसी भी राजकीय सेवा में

नहीं था। इसके पूर्व वह मजदूरी करता था। सहायक अभियन्ता, सिचाई उपखण्ड प्रथम उदयपुर के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 10.10.85 को विपक्षी लालू को अर्द्ध अस्थायी रूप में बेलदार के पद पर लगाया गया था। यानि की आवंटन के एक वर्ष से अधिक समय पश्चात वह भी अर्द्ध अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया था। आवंटन दिनांक को विपक्षी लालू राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं था। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से भूमि का खातेदार अधिकार प्रदान किया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 में इस भूमि में विपक्षी द्वारा काश्त चना भी की गई। मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु कच्चा मकान भी बना रखा है। मूल आवंटी लालू की मृत्यु के पश्चात विपक्षी सं. 1 से 3 का मौके पर कब्जा काश्त है। यह जरूर सत्य है कि विपक्षी की आवंटन भूमि के आगे सरकारी बिलानाम भूमि स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा धनबल व भुजबल से अतिक्रमण कर रखा हैं। अतः प्रार्थी का आवंटन आदेश निरस्ती का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये एवं आवंटन को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करावे। अपने कथनो की ताईद में 1998 R.R.D. 445 (H.C.), 2010(1) R.R.T.1220, 1995(2)R.B.J.780, AIR1994 SUP.COURT 1128, 2009(16)R.B.J. 201, 1999 R.R.D. 128 (H.C.), 1996 R.R.D. 500, 1999 (6)R.B.J. 412, 2007(2)R.L.W.995 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली को भी देखा गया। विपक्षी लालू पिता भेरा मेघवाल को मौजा विजना की आराजी नं. 291मी में 2 बीघा भूमि दिनांक 06.06.84 को आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन की गई। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन के पश्चात पाया जाता है कि किया गया आवंटन नियमों के परिपेक्ष में सही है। आवंटन नियमों का उल्लघंन कर लालू पिता भेरा मेघवाल को आवंटन नहीं किया गया हैं। प्रार्थी का यह कथन रहा है कि आवंटन दिनांक को विपक्षी लालू राजकीय सेवा में होकर सिचाई विभाग में बेलदार के पद पर नियुक्त था। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उन दस्तोवजो को देखने पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विपक्षी आवंटन दिनांक को राजकीय सेवा में पदस्थापित नहीं था। क्योकि संलग्न पत्रावली में संलग्न दस्तावेज जो कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी के जोईनिंग रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 11.10.85 की होकर उसमें यह लिखा है कि सहायक अभियन्ता सिचाई उपखण्ड प्रथम उदयपुर के आदेश क्रमांक 2876 के तहत दिनांक 10.10.85 को मुझे अर्द्ध अस्थायी घोषित किया

है सो दिनांक 11.10.85 को ड्यूटी जोईन की। जिससे साफ प्रतीत होता है कि प्रथम बार अर्द्ध अस्थायी में नियुक्ति दिनांक 11.10.85 को हुई। जो कि आवंटन के करीब एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद हुई है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकार आवंटी को प्राप्त हो चुके है। न्यायालय का मत यह है कि विपक्षी द्वारा यह आवंटन मिसरिप्रजेनटेशन अथवा कपट द्वारा आवंटन प्राप्त नहीं किया गया है। विपक्षी को आवंटन हुये भी करीब 36 वर्ष हो चुके है। आवंटन कमेटी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर ही भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी को विधि सम्मत किये गये आवंटन को बिना किसी वैधानिक कारण के निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा भी लम्बे अंतराल के बाद में आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र क्यों पेश किया गया, इसका भी ठोस कारण नहीं दिया गया है।

अतः प्रार्थी का आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र सारहीन मानते हुए खारीज किया जाता है तथा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति मय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर की आवंटन पत्रावली सं. 837/84 पुनः प्रेषित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: